संख्या-01/2018/4123/41-2017-17 (बजट)/2017

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊः दिनांक 03 जनवरी, 2018

विषय- जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5783/6-1-1(865)/2017, दिनांक 14-12-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना हेतु जिलाधिकारी वाराणसी की संस्तुति के अनुक्रम में ग्राम नागापुर, परगना कोलअसला, तहसील-पिण्ड्रा, जनपद वाराणसी स्थित कुल गाटा संख्या-320 तथा कुल रकबा 61.519 हे0 अर्थात 150 एकड भूमि जिसका प्रति एयर सर्किल दर के अनुसार मूल्यांकन रू0 54,72,11,500.00 (रूपये चौवन करोड़ बहत्तर लाख ग्यारह हजार पांच सौ रूपये मात्र) होता है, को नियमानुसार जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से अधिग्रहीत किये जाने हेतु रू0 20000.00 लाख (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उपर्युक्त कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण हेतु समस्त औपचारिक्ताओं यथा-वित्तीय एवं राजस्व नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

(3) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना का कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतू पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोतों से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-37-जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-05/दस-2018 दिनांक 03 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या-01/2018/4123 (1)/41-2017 दिनांक 03 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4- जिलाधिकारी, वाराणसी।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, वाराणसी।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
9- उप निदेशक, पर्यटन, आगरा ।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।